


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कैलाश वगैरा बनाम प्रभूलाल वगैरा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मु.न. 48/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	--

31.07.2018

पत्रावलीर पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा श्री गोर्वधन लाल शर्मा का स्थानान्तरण हो चुका हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचारधीन पत्रावली वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी प्रभू आदि बनाम कैलाश आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अति० जिला कलेक्टर
दौसा

